

संविधान संशोधन तालिका

संविधान संशोधन क्या है?

भारतीय संविधान में समय-समय पर किए गए परिवर्तन, जोड़ या हटाने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जाती है, ताकि संविधान देश की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।

अब तक कुल संविधान संशोधन

- भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं।
- नवीनतम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 है, जिसे *महिला आरक्षण अधिनियम* के नाम से जाना जाता है।

संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र को समयानुसार मजबूत और प्रासंगिक बनाते हैं। यह पोस्ट संविधान संशोधन सूची, भारत का संविधान हिंदी में PDF, और संविधान के अनुसूची PDF के लिए एक संपूर्ण SEO संसाधन है।

भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं।

- पहले प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में "साधारण बहुमत" द्वारा पारित किया जा सकता है।
- दूसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित "विशेष बहुमत" द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं; और
- तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे "विशेष बहुमत" के अलावा, कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन से है।

संविधान संशोधन तालिका

संशोधन संख्या	वर्ष	प्रमुख प्रावधान / उद्देश्य
1वां	1951	भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध
2वां	1952	राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन
3वां	1954	अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण से संबंधित प्रावधान
4वां	1955	संपत्ति के अधिकार में संशोधन
5वां	1955	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में परिवर्तन
6वां	1956	अंतर्राज्यीय व्यापार और बिक्री कर
7वां	1956	राज्यों का पुनर्गठन, भाग A, B, C, D समाप्त
8वां	1960	SC/ST आरक्षण अवधि बढ़ाई
9वां	1960	दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय
10वां	1961	गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय
11वां	1961	उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधान
12वां	1962	गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया
13वां	1962	नागालैंड को विशेष दर्जा (अनुच्छेद 371A)
14वां	1962	पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश
15वां	1963	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु
16वां	1963	संप्रभुता व अखंडता की शपथ
17वां	1964	भूमि सुधार कानूनों को और सुरक्षा
18वां	1966	पंजाब पुनर्गठन, हरियाणा गठन
19वां	1966	चुनाव याचिका ट्रिब्यूनल समाप्त
20वां	1966	पिछली तिथि से कानूनों की वैधता
21वां	1967	सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल
22वां	1969	मेघालय राज्य का गठन
23वां	1969	SC/ST आरक्षण में संशोधन
24वां	1971	संसद की संविधान संशोधन शक्ति स्पष्ट
25वां	1971	संपत्ति के अधिकार में कटौती
26वां	1971	प्रिवी पर्स समाप्त
27वां	1971	केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व
28वां	1972	न्यायिक सेवा शर्तों में संशोधन
29वां	1972	केरल भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची
30वां	1972	उच्च न्यायालय अपील प्रावधान
31वां	1973	लोकसभा सीटों में वृद्धि
32वां	1973	सिक्किम को विशेष दर्जा
33वां	1974	सांसदों के इस्तीफे के नियम
34वां	1974	भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची
35वां	1974	सिक्किम सहयोगी राज्य

36वां	1975	सिक्किम पूर्ण राज्य बना
38वां	1975	आपातकालीन शक्तियों में वृद्धि
39वां	1975	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति चुनाव न्यायिक समीक्षा से बाहर
40वां	1976	तटीय क्षेत्र और द्वीप
42वां	1976	मिनी संविधान - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य
43वां	1977	42वें संशोधन के कई प्रावधान हटे
44वां	1978	संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
45वां	1980	SC/ST आरक्षण अवधि बढ़ी
46वां	1982	बिक्री कर संशोधन
52वां	1985	दल-बदल विरोधी कानून
58वां	1987	संविधान का हिंदी पाठ प्रामाणिक
61वां	1989	मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष
65वां	1990	राष्ट्रीय SC/ST आयोग
69वां	1991	दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
71वां	1992	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा शामिल
73वां	1992	पंचायत राज व्यवस्था
74वां	1992	नगर निकाय व्यवस्था
77वां	1995	पदोन्नति में SC/ST आरक्षण
80वां	2000	केंद्र-राज्य कर वितरण
81वां	2000	बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण
84वां	2001	लोकसभा सीटें स्थिर
86वां	2002	शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
91वां	2003	मंत्रिपरिषद आकार सीमित
92वां	2003	8वीं अनुसूची में नई भाषाएँ
93वां	2005	शिक्षा में आरक्षण (अनुच्छेद 15(5))
95वां	2009	SC/ST आरक्षण विस्तार
97वां	2011	सहकारी समितियाँ
99वां	2014	NJAC (बाद में निरस्त)
100वां	2015	भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता
101वां	2016	GST लागू
102वां	2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
103वां	2019	EWS आरक्षण
104वां	2020	एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त
105वां	2021	OBC सूची बनाने की शक्ति राज्यों को
106वां	2023	महिला आरक्षण (33%)
